यह निरीक्षण आख्या खण्ड शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली के माह 11/2012से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

खण्ड शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली के अवधि की माह 11/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री डी॰के॰मट्टू ,श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28/01/2019 से 31/01/2019 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है|

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**, खण्ड शिक्षा अधिकारी के विकास खण्ड में संचालित विद्यालयों का निरीक्षण/अनुश्रवण करना। वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कर्णप्रयाग जनपद चमोली स्थित है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. में)

वर्ष	**आवंटन**		**व्यय**		**बचत /अभ्यर्पण**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	1193050	36578	1159043	36578	34007	0
2016-17	1728000	12000	1588906	12000	139094	0
2017-18	2049960	74207	2035246	70787	14714	+3420
2018-19	2438240	76600	2438240	31004	0	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

-------------- शून्य -----------------

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

↓

महानिदेशक

↓

निदेशक

↓

अपर निदेशक

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षाअधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)

↓

खंड शिक्षा अधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा खण्ड शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन खण्ड शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2013,02/2015 एवं 09/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- लगभग 16 वर्ष तक की लम्बी अवधि तक योजना के हस्तांतरित से पूर्व ही ध्वस्त हो जाने के परिणाम स्वरूप निष्फल व्यय रुपये 123.11 लाख ।

शासनादेश संख्या 12/ माध्यमिक / 2001 दिनांक 21.12.2001 द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 में सूची में उल्लिखित इंटर कालेजों के भवनों के निर्माण हेतु उनके नाम के सम्मुख परीक्षणोपरांत अनुमोदित लागत का प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये योजना प्रारम्भ हेतु प्रथम किस्त के रूप में कालम-5 पर अंकित धनराशि रुपये 332.44 लाख की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की गई थी । जिसमें राजकीय इंटर कालेज उज्जवलपुर विकास खण्ड कर्णप्रयाग, जनपद चमोली के अनावासीय भवन निर्माण की अनुमोदित लागत रुपये 103.83 लाख अंकित थी । जिसमें वित्तीय वर्ष 2001-02 में व्यय हेतु रुपये 14.76 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी । लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था ।

इकाई के अभलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (निर्माण एजेंसी) द्वारा प्रेषित माह अगस्त 2002 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या में योजना की स्वीकृत लागत रुपये 103.83 लाख, अवमुक्त धनराशि रुपये 14.76 लाख और माह तक व्यय रुपये 2.87 लाख दर्शाया गया था । इसी प्रकार माह नवम्बर 2006 तक की अद्यतन प्रगति आख्या में कार्य प्रारम्भ की तिथि जून 2002, आंगणित लागत / पुनरीक्षित लागत रुपये 123.45 लाख, अवमुक्त धनराशि रुपये 123.45 लाख, और व्यय धनराशि रुपये 123.11 लाख, भौतिक प्रगति 100% तथा धन की आवश्यकता शून्य अंकित थी ।

आगे यह भी पाया गया कि उपरोक्त शासनादेश में लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था जवकि योजना का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (निर्माण एजेंसी) द्वारा संपादित किया गया था जो उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना थी । उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (निर्माण एजेंसी) द्वारा प्रेषित मासिक प्रगति आख्याओं में कार्य प्रारम्भ की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि का उल्लेख नहीं किया जा रहा था और न ही योजना के पूर्ण किए जाने की कुल अवधि का उल्लेख किया गया था । योजना के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा कोई MOU भी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (निर्माण एजेंसी) के साथ गठित नहीं किया गया जिसका अनुचित लाभ उठाकर निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने में तथा विभाग को हस्तगत किए जाने में जानबूझ कर अप्रत्याशित विलम्ब किया गया और योजना का हस्तांतरण विभाग को आतिथि (12/2018) तक नहीं किया गया । जिलाधिकारी चमोली को प्रेषित प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज उज्जवलपुर के पत्र संख्या 249-3/भूमि–भवन/2018-19 दिनांक 29.01.2019 द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि निर्माण एजेंसी द्वारा किया गया निर्माण हस्तांतरण से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गया था तथा ध्वस्त भी हो गया है । तदनुसार लगभग 16 वर्ष तक की लम्बी अवधि तक योजना के हस्तांतरित नहीं होने तथा हस्तांतरित से पूर्व ही ध्वस्त हो जाने के परिणाम स्वरूप किया गया व्यय रुपये 123.11 लाख निष्फल सिद्ध हुआ ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ विभाग द्वारा स्वीकार की गईं और बताया गया कि विकास खण्ड स्तर पर एमओयू का गठन नहीं किया जाता है । समय-समय पर जनप्रतिनिधि के द्वारा BDC में उठाया गया साक्ष्य विकास खण्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत भौतिक निरीक्षण हुआ होगा विकास खण्ड कार्यालय में साक्ष्य मौजूद नहीं, विद्यालय की सूचना के अनुसार उपयोग हेतु अस्वीकृत, निर्माण कार्य ध्वस्त हो जाने के पश्चात निर्माण एजेंसी से निर्माण की लागत की रुपये 123. लाख धनराशि अद्यतन ब्याज 11सहित वसूल किए जाने के सम्बंध में जिला स्तर / विभाग सक्षम है । अतः लगभग 16 वर्ष तक की लम्बी अवधि तक योजना के हस्तांतरित से पूर्व ही ध्वस्त हो जाने के परिणाम स्वरूप रुपये 123.11 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण शासन के प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- धनराशि रु. 2.53 लाख के बिल-बाउचर तथा संबंधित लेखा अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना।

नियम अनुसार शासनादेश संख्या 358/xxvii/6/2011 दिनांक 23.09.2011, भुगतान से संबंधित पत्रावली बिल वाउचर 11-सी BM-4, BM-5 तथा कैश बुक इकाई के पास होना अनिवार्य है। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कर्णप्रयाग, चमोली के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा जो टेस्ट माह detail check के लिए 05/2013 में धनराशि रुपये 96,560/- = 02/2015 में धनराशि रुपये 48,540/- एवं arithmetic check के लिए माह 05/2014 में रुपये 48,000/- 05/2015 में रुपये 32,000/- एवं 03/2016 में रुपये 29,361/- जो कुल धनराशि रुपये 2,53,551/- विभाग द्वारा व्यय किये जा चुके हैं। लेखापरीक्षा द्वारा उक्त व्यय से संबंधित कि अभिलेखों । जैसे BM-4, BM-5 cash book bill/voucher आदि की मांग किये जाने पर उक्त अभिलेख लेखापरीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा की objections विभाग द्वारा स्वीकार की गयी और बताया गया कि कार्यालय स्थानान्तरण की स्थिति में रिकार्ड अस्त व्यस्त होने के कारण उपलब्ध नहीं कराए गये एवं हैण्ड ओवर, टेक ओवर की प्रक्रिया भी नहीं करी गयी जिसे विभाग की शिथिलता प्रकट हो जाती है। अतः धनराशि रु. 2.53 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में)अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली में पाये गये चारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्म निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री कुंडी लाल	खण्ड शिक्षा अधिकारी	27.08.2010 से 12.09.2012
2.	श्री टीका प्रसाद नौटियाल	खण्ड शिक्षा अधिकारी	13.09.2012 से 22.05.2014
3.	श्री विजयपाल सिंह	खण्ड शिक्षा अधिकारी	22.05.2014 से 27.01.2018
4.	श्री उमेश चन्द कैलखुरा	खण्ड शिक्षा अधिकारी	28.01.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.